... 5/3/18 को
विचाराधीन ... की
कार्यवाही दिनांक 23/7/18 को
की जावेगी।

| | |
|---|---|
| 23/7/18 | श्रीमान PO साहब राजस्व कार्य से बाहर होने के कारण आज दि. 23/7/18 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की कार्यवाही दिनांक 17/9/18 को की जावेगी। |
| 17/9/18 | वकीलो के कार्य बहिष्कार होने के कारण पत्रावली प्रतिवादीगण को कार्यालय से नोटिस जारी होकर दिनांक 2/11/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी |
| 2-11-18 | वकील सापल उपस्थित। और सापला को कार्यालय से नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 18.1.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी |
| 18-1-19 | वकील सापल उपस्थित और सापल व और दि पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करना चाहते है जवाब प्रार्थना बन्द किया गया बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी सापल का नाम जमाबन्दी सं 2068-71 मे गिरधारी के स्थान पर गिलहारी दर्ज हो गया है। जबकि किशोरी मृतक के विरासत नामा० सं 1070 मे सापल का नाम गिरधारी अंकित है। उक्त नामा मे भी रंगी के स्थान पर पिता का नाम रंगू दर्ज हुआ है। जो लिपिकीय गलत है और दुरुस्त किये (हस्ताक्षर) |

जारी 2045-46 22.4.19

नाति लोकार्थ 512-13 10.5.18

# फर्द अहकाम

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| | जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अपील विरुद्ध औरअपील स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजीयात खसरा नम्बरान 1087, 1148, 1081, 1077, 1085 वाके ग्राम मकनपुर तहसील करौली मे प्रार्थी ~~[illegible]~~ गिलहटी के स्थान पर गिरधारी एवं विरासत नामा० संख्या 1070 मे मृतक किशोरी मे अपील के पिता का नाम रेगू के स्थान पर रंगी दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थी तहसीलदार करौली आदेशानुसार अपील के हक मे राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्त कर इन्द्राज अमल करे तहसीलदार करौली को निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। <br>[signature] <br>उपखण्ड मजिस्ट्रेट <br>करौली (राज०) |